

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : 4733 / शै0प0

दिनांक : 4/6/17


विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2015-16 के इण्टर्न को इण्टर्नशिप पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने बारे।

बोर्ड सचिव आदेश दिनांक 28.02.2017 की अनुपालना में निम्न वर्णित इण्टर्न को अति विशेष कारणों से उनके नाम के सामने दर्शाए गए विद्यालय में इण्टर्नशिप आरम्भ/पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की गई है :

Sr.No.	ROLL NO.	INTERN NAME	ALLOTTED SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
1	5313150507	SUSHMA	GPS BAJGHERA/GURGAON/GURGAON
2	5313080521	AJAY KUMAR	GGPS LIJWANA KHURD/JULANA/JIND

उक्त वर्णित इण्टर्न को पत्र जारी होने की तिथि के 6 मास के अन्दर-अन्दर इण्टर्नशिप के न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः संबंधित डाईट प्रचार्य अविलम्ब पत्र प्रतिहस्ताक्षर करते हुए संबंधित इण्टर्न को आबंटित विद्यालय में कार्यग्रहण करवाए। इन इण्टर्न को केवल न्यूनतम 90 कार्यदिवस पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इनके 90 कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आंकलन करते हुए ग्रेड उनके संबंधित डी.एड. सस्थान को भिजवाएंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
संबंधित प्रचार्य, डाईट


सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : 4735/शै040

दिनांक : 04/03/17


विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2015-16 के लिए पूर्व आबंटित विद्यालय में परिवर्तन बारे।

बोर्ड सचिव आदेश दिनांक 28.02.2017 की अनुपालना में निम्न इण्टर्न का अति विशेष कारणों से पूर्व आबंटित विद्यालय से उसके नाम के सामने दर्शाए गए नए विद्यालय में परिवर्तन किया जाता है :

ROLL NO.	INTERN NAME	OLD SCHOOL/BLOCK/DISTRICT	NEW SCHOOL/BLOCK/DISTRICT
5313121548	YOGESH	GPS KARI MODH/BADHRA/BHIWANI	GPS BINDARAVAN/BADHRA/BHIWANI

उल्लेखनीय है कि उक्त वर्णित इण्टर्न को कार्यालय पत्र क्रमांक 4606/शै.प./ए-1 दिनांक 02.01.2017 के अन्तर्गत पत्र जारी होने की तिथि के 5 मास के अन्दर अन्दर इण्टर्नशिप के न्यूनतम 90 कार्यदिवस को पूर्ण करने की विशेष अनुमति प्रदान की हुई है। अतः संबंधित डाईट प्रचार्य अविलम्ब पत्र प्रतिहस्ताक्षर करते हुए संबंधित इण्टर्न को परिवर्तित विद्यालय में कार्यग्रहण करवाए। संबंधित विद्यालय मुखिया इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इण्टर्न के 90 कार्यदिवस पूर्ण होते ही पूर्व निर्धारित फॉर्मूले अनुसार ग्रेड का आंकलन करते हुए ग्रेड उसके संबंधित डी.एड. सस्थान को भिजवाएंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
संबंधित प्रचार्य, डाईट


सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव


हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक : ५७३५ / शै०५०

दिनांक : ०५/०३/१७

विषय : डी.एड. इण्टर्नशिप 2015-16 को पूर्ण करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने बारे।

उपर्युक्त विषय बारे इण्टर्न पवन सिवाच, अनुक्रमांक 5313180857 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन करने उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा इण्टर्न के मामले को अति विशेष कारण का न मानते हुए उसे इण्टर्नशिप पूर्ण करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है । अतः संबंधित को डी.एड. डिप्लोमा जारी नहीं किया जाएगा।


सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव